सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जयपुर

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018

कैम्प कोर्ट विराटनगर, **कैम्प दिनांक 29.06.2018**

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश कुमार मूंड आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 05/2016 **दायर तारीख 29.01.2016**

1. लाडा देवी पत्नी धूणाराम
2. हीरालाल दत्तक पुत्र धूणाराम

} जाति गुर्जर निवासी भाटियों की ढाणी तन भामोद, तहसील विराटनगर

–– वादीगण

बनाम

1. लक्ष्मण सिंह पुत्र भवानीसिंह
2. सुख कंवर पत्नी भवानीसिंह
3. गिरवरसिंह पुत्र सुमेर सिंह
4. भोजराज सिंह पुत्र सुमेर सिंह
5. शंकर कंवर पत्नी सुमेर सिंह

} जाति राजपूत निवासी भामोद तहसील विराटनगर, जिला जयपुर

6. कोयली देवी पत्नी धूडाराम जाति गुर्जर निवासी पणदौ तहसील विराटनगर
7. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर
8. उप पंजीयक, उप पंजीयन कार्यालय तहसील विराटनगर, जयपुर
9. पटवारी, पटवार हलका भामोद तहसील विराटनगर

–– प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा खातेदारी, दुरूस्त इन्द्राज मिलान क्षेत्रफल एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री गोपाल टांक, अधिवक्ता वादीगण
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक :– 29.06.2018

1. वादीगण ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम भामोद के अन्य साबिक खसरा नम्बर के साथ–साथ साबिक खसरा नम्बर 490 रकबा 3 बीघा 7 बिसवा की खातेदारी वादी सं॰ 1 के ससुर तथा वादी संख्या 2 के दादा भगताराम पुत्र सालगा के नाम दर्ज रही है, जिस पर पहले वादीगण के बुजुर्गो एवं अब वादी संख्या 1 के पति व वादी संख्या 2 के दत्तक पिता धूणा के द्वारा 0.66 हैक्टेयर भूमि विक्रय कर देने बाद उक्त साबिक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

खसरा नम्बर में शेष रही 0.20 हैक्टेयर भूमि पर वादीगण काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त भूमि की सिंचाई इसके उत्तर मे बने कुए अलमशहूर भारूवाला जो प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के बुजुर्गो के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है से अपनी भूमि की सिंचाई कर खती करते चले आ रहे है। उक्त कुए में वादीगण के बुजुर्गो एवं प्रतिवादीगण के बुजुर्गो ने शामलाती विद्युत कनेक्शन लगा रखा है।

भूमि साबिक खसरा नम्बर 490 रकबा 3 बीघा 7 बिसवा के हाल सैटिलमेंट में हाल खसरा नम्बर 936/0.28, 937/0.37, 938/0.01 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.66 हैक्टेयर कायम किये जाकर खातेदारी वादीगण के बुजुर्ग के नाम दर्ज कर दी गई तथा साबिक खसरा नम्बर 490 के शेष रहे रकबा लगभग 0.20 हैक्टेयर के हाल खसरा नम्बर 936/1167/0.10, 937/1166/0.20 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.30 हैक्टेयर कायम किये जाकर उसका मिलान क्षेत्रफल गलत बनाते हुए साबिक खसरा नम्बर 489 से बनना बता कर उसकी खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के बुजुर्ग भवानी सिंह व सुमेर सिंह के नाम गलत दर्ज कर दी गई। उक्त दोनो हाल खसरा नम्बर साबिक नक्शा ट्रेस व हाल नक्शा ट्रेस तथा साबिक जमाबन्दी के अनुसार हाल जमाबन्दी मे कम हुआ रकबा साबिक खसरा नम्बर 490 का ही हिस्सा है तथा दोनो खसरा नम्बरों का रकबा मिलाने पर ही साबिक नम्बर के रकबे के बराबर रकबा बनता है। इस कारण हाल खसरा नम्बर 936/1167/0.10, 937/1166/0.20 हैक्टेयर की खातेदारी हाल सैटलमेंट मे प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के बुजुर्गो के नाम गलत रूप से दर्ज हो गयई एवं उनके फौत होने बाद उक्त दोनो खसरा नम्बरों की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के नाम से है, जो काबिल दुरूस्ती है।

साबिक नक्शा ट्रेस के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 490 की उत्तर सीमा जो पूर्व पश्चिम लम्बाई मे है, तथा साबिक खसरा नम्बर 491 की उत्तरी सीमा से मिलती हुई साथ मे ही थी। जबकि साबिक खसरा नम्बर 490 के नये बने हाल खसरा नम्बर 936, 937 की उत्तरी सीमा को हाल नक्शा ट्रेस में कुए से दक्षिण तरफ काफी नीचे दर्शाकर साबिक खसरा नम्बर 490 की भूमि के हाल खसरा नम्बर 936/1167, 937/1166 बना दिये गये हैं एवं उक्त नम्बरों की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी गई जबकि मौके पर वादीगण पूर्व सीमाओं के मध्य की भूमि हाल खसरा नम्बर 936/1167, 937/1166 पर अपने बुजुर्गो की तरह काबिज काश्त है। वादी संख्या 1 के पति एवं वादी संख्या 2 के दत्तक पिता धूणा ने हाल

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सैटिलमेंट के बाद अपने नाम दर्ज हुए खसरा नम्बर 936/0.28, 937/0.37, 938/0.01 हैक्टेयर किता 3 रकबा 0.66 हैक्टेयर भूमि को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.07.1993 को सुवालाल पुत्र पीरू को विक्रय कर दिया, तथा साबिक खसरा नम्बर 490 की शेष बची भूमि हाल खसरा नम्बर 936/1167, 937/1166 पर पहले वादीगण का बुजुर्ग धूणा एवं उसके फौत होने बाद वर्तमान में वादीगण काबिज काश्त है, परन्तु राजस्व रिकार्ड में खातेदारी गलत रूप से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के नाम दर्ज कर दी गई, जिससे साबिक खातेदारी रिकार्ड में वादीगण का रकबा कम हो गया। सैटिलमेंट कर्मचारियों को साबिक नक्शा ट्रेस व जमाबन्दी तथा मौका स्थिति के विपरीत वादीगण के बुजुर्गो की खातेदारी भूमि साबिक खसरा नम्बर 490 के उत्तरी हिस्से की भूमि हाल खसरा नम्बर 936/1167, 937/1167 कायम किये जाकर उन्हें प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के बुजुर्गो के नाम दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं था। आराजी मुतनाजा के कब्जा काश्त से प्रतिवादीगण का कोई संबंध नहीं होने से राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती काबिल है। दावा दायरी के 10 दिन पूर्व वादीगण ने प्रतिवादीगण से रिकार्ड दुरूस्ती कराने हेतु कहा, लेकिन प्रतिवादीगण ने रिकार्ड दुरूस्ती कराने से साफ इन्कार कर दिया तथा यह भी कि प्रतिवादीगण ने हाल खसरा नम्बर 936/1167/0.10 हैक्टेयर का बेचान जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 6 के पक्ष में कर दिया तथा खसरा नम्बर 937/1166/0.20 हैक्टेयर को बेचान करने की धमकी दी है। अतः निवेदन है कि वादीगण को वाके ग्राम भामोद के खसरा नम्बर 936/1167, 937/1166 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे साथ ही प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादीगण के हक अधिकार की भूमि खसरा नम्बर 936/1167, 937/1166 के कब्जे काश्त में किसी प्रकार दखल नहीं करें, वादीगण को चाह खसरा नम्बर 939 में लगे विद्युत से अपने हिस्से अनुसार पानी लेने देवें तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 द्वारा प्रतिवादी संख्या 6 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र को आराजी खसरा नम्बर 936/1167 की हद तक एबीसीनियो नल एण्ड वोइड घोषित किया जावे।

2. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजीका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 जरिए अधिवक्ता उपस्थित हुए, परन्तु बार–बार अवसर दिये जाने उपरान्त भी जवाबदावा पेश नहीं किया गया। तारीख पेशी दिनांक 23.09.2016 को बावजूद सम्यक प्रतिवादीगण के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

असालतन व वकालतन उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। पैरोकार सरकार उपस्थित हुए।

3. वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में पर्चा चकबन्दी सैटिलमेंट Ex.-1, नकल खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2012 Ex.-2, नकल नक्शा सर्वे शीट Ex.-3, नकल नक्शा ट्रेस Ex.-4, नकल जमाबन्दी (खेवट खतौनी) संवत् 2031 Ex.-5, नकल मिलान क्षेत्रफल Ex.-6, नकल खतौनी जमाबन्दी संवत् 2039 पृष्ठ संख्या 56 Ex.-7, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 234 संवत् 2069–2072 Ex.-8, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 9 संवत् 2069–2072 Ex.-9, नकल विक्रय पत्र बहक कोयली देवी Ex.-10, आदि पेश कर प्रदर्शित करवाये गये।

   मौखिक साक्ष्य के रूप में हीरालाल दत्तक पुत्र धूणाराम PW-1, भागीरथ पुत्र प्रभात PW-2, रामजीलाल पुत्र नारायण PW-3 के शपथ पत्र पेश कर न्यायालय में परीक्षित करवाया गया।

4. पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट विराटनगर में वास्ते सुनवाई पेश हुई। विद्वान अधिवक्ता वादीगण को सुना गया।

5. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया। वाके ग्राम भामोद के साबिक खसरा नम्बर 490 रकबा 3 बीघा 7 बिसवा की खातेदारी Ex.-1, Ex.-2, भगताराम पुत्र सालगा के नाम दर्ज रही है। साबिक खसरा नम्बर 490 रकबा 3 बीघा 7 बिसवा के हाल सैटिलमेंट में हाल खसरा नम्बर 936/0.28, 937/0.37, 938/0.01 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.66 हैक्टेयर कायम किये जाकर खातेदारी वादीगण के बुजुर्ग के नाम दर्ज की गई। अधिवक्ता वादी का तर्क रहा कि धूणा के द्वारा 0.66 हैक्टेयर भूमि विक्रय कर देने बाद उक्त साबिक खसरा नम्बर में शेष रही 0.20 हैक्टेयर भूमि पर वादीगण काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है, जबकि साबिक खसरा नम्बर 490 के शेष रहे वादी के रकबा लगभग 0.20 हैक्टेयर के हाल खसरा नम्बर 936/1167/0.10, 937/1166/0.20 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.30 हैक्टेयर कायम किये जाकर उसका मिलान क्षेत्रफल गलत बनाते हुए साबिक खसरा नम्बर 489 से बनना बता कर उसकी खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के बुजुर्ग भवानी सिंह व सुमेर सिंह के नाम गलत दर्ज कर दी गई। इसके संबंध में यह कि हाल खसरा नम्बर 936/1167/0.10, 937/1166/0.20 हैक्टेयर का साबिक नक्शा शीट Ex.-3 व हाल नक्शा ट्रेस Ex.-4 तथा साबिक जमाबन्दी के मिलान से स्पष्ट है कि हाल जमाबन्दी मे कम हुआ रकबा साबिक खसरा नम्बर 490

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

का है हिस्सा है तथा दोनो खसरा नम्बरों का रकबा मिलाने पर ही साबिक नम्बर के रकबे के बराबर रकबा बनता है। यह भी कि साबिक नक्शा ट्रेस Ex.-3 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 490 की उत्तर सीमा जो पूर्व पश्चिम लम्बाई मे है, तथा साबिक खसरा नम्बर 491 की उत्तरी सीमा से मिलती हुई साथ मे ही थी, जबकि साबिक खसरा नम्बर 490 के नये बने हाल खसरा नम्बर 936, 937 की उत्तरी सीमा को हाल नक्शा ट्रेस Ex.-4 में कुए से दक्षिण तरफ काफी नीचे दर्शाकर साबिक खसरा नम्बर 490 की भूमि को हाल खसरा नम्बर 936/1167, 937/1166 बना दिये गये हैं। वादीगण के पूर्वज धूणा ने हाल सैटिलमेंट के बाद अपने नाम दर्ज हुए खसरा नम्बर 936/0.28, 937/0.37, 938/0.01 हैक्टेयर किता 3 रकबा 0.66 हैक्टेयर भूमि को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.07.1993 को सुवालाल पुत्र पीरू को विक्रय कर दिया, तथा साबिक खसरा नम्बर 490 की शेष बची भूमि हाल खसरा नम्बर 936/1167, 937/1166 पर पहले वादीगण का बुजुर्ग धूणा एवं उसके फौत होने बाद वर्तमान में वादीगण काबिज काश्त है, जिसकी पुष्टि वादीगण के मौखिक साक्ष्यों से होती है। सैटिलमेंट कर्मचारियों को साबिक नक्शा ट्रेस व जमाबन्दी तथा मौका स्थिति के विपरीत वादीगण के बुजुर्गो की खातेदारी भूमि साबिक खसरा नम्बर 490 के उत्तरी हिस्से की भूमि हाल खसरा नम्बर 936/1167, 937/1167 कायम किये जाकर उन्हें प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के बुजुर्गो के नाम दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं था, जबकि वादीगण के साबिक रकबा 3 बीघा 7 बिसवा के मुकाबले कम बनाये गये रकबा 0.66 हैक्टेयर एवं रकबा 0.66 हैक्टेयर के बेचान बाद साबिक रकबा 3 बीघा 7 बिसवा के शेष रहे रकबा करीब 0.18 हैक्टेयर के कब्जा काश्त से प्रतिवादीगण का कोई संबंध नहीं होने से राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती काबिल है।

6. निष्कर्ष साबिक खसरा नम्बर 490 रकबा 3 बीघा 7 बिसवा की खातेदारी वादीगण के बुजुर्गो के नाम दर्ज रिकार्ड रही है। साबिक रकबा 3 बीघा 7 बिसवा को हैक्टेयर में परिवर्तित करने पर 0.8375 हैक्टेयर रकबा बनता है, जबकि साबिक खसरा नम्बर 490 रकबा 3 बीघा 7 बिसवा के हाल सैटिलमेंट में हाल खसरा नम्बर 936/0.28, 937/0.37, 938/0.01 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.66 हैक्टेयर कायम किये तथा शेष रकबा करीब 0.18 हैक्टेयर को हाल खसरा नम्बर 936/1167/0.10, 937/1166/0.20 हैक्टेयर में साबिक खसरा नम्बर 489 से बनना बताकर उसकी खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के बुजुर्गो के नाम कर दी,

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वादीगण का रकबा दुरूस्ती किया जाना न्यायसंगत है। यह भी कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 ने अपने नाम दर्ज खातेदारी खसरा नम्बर 936/1167/0.10 हैक्टेयर का बेचान प्रतिवादी संख्या 6 के पक्ष में कर दिया है। प्रतिवादी संख्या 6 राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारी अनुसार क्रय किये गये खसरा नम्बर एवं रकबा का सद्भावी क्रेता है तथा वादीगण का साबिक रकबा अनुसार 0.18 हैक्टेयर रकबा ही शेष बचता है। अतः खसरा नम्बर 937/1166/0.20 हैक्टेयर में वादीगण को रकबा 0.18 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायसंगत पाता हूॅ।

आदेश

वादी का वाद इस कदर डिक्री किया जाता है कि वादीगण को वाके ग्राम जयसिंहपुरा के हाल खसरा नम्बर 937/1166/0.20 हैक्टेयर में रकबा 0.18 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि उक्त खसरा नम्बर के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण का नाम हजफ किया जाकर, राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें।

निर्णय मजमा–ए–आम कैम्प कोर्ट विराटनगर दिनांक 29.06.2018 को सुनाया गया।

(मुकेश कुमार मूंड) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

सत्यमेव जयते
Web copy - Not Official

मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अदालत :— उपखण्ड अधिकारी मुकाम राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट विराटनगर **दिनांक : 29.06.2018**

बइजलास :— मुकेश कुमार मूंड आर.ए.एस.

1. लाडा देवी पत्नी धूणाराम
2. हीरालाल दत्तक पुत्र धूणाराम

} जाति गुर्जर निवासी भाटियों की ढाणी तन भामोद, तहसील विराटनगर

—— वादीगण

बनाम

1. लक्ष्मण सिंह पुत्र भवानीसिंह
2. सुख कंवर पत्नी भवानीसिंह
3. गिरवरसिंह पुत्र सुमेर सिंह
4. भोजराज सिंह पुत्र सुमेर सिंह
5. शंकर कंवर पत्नी सुमेर सिंह

} जाति राजपूत निवासी भामोद तहसील विराटनगर, जिला जयपुर

6. कोयली देवी पत्नी धूडाराम जाति गुर्जर निवासी पणदौ तहसील विराटनगर
7. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर
8. उप पंजीयक, उप पंजीयन कार्यालय तहसील विराटनगर, जयपुर
9. पटवारी, पटवार हलका भामोद तहसील विराटनगर

—— प्रतिवादीगण

मुकद्मा नम्बर/नजरसानी संख्या 05/2016 **दावा बाबत घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज मिलान क्षेत्रफल एवं स्थायी निषेधाज्ञा** यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतैई रूबरू **श्री गोपाल टांक, एडवोकेट** व हाजरी .....मिन जानिब मुद्दई रूबरू **एकपक्षीय कार्यवाही एवं पैरोकार सरकार** कार्यवाही मिन जानिब मुदामलह पेश होकर निवेदन किया कि वादीगण को वाके ग्राम भामोद के खसरा नम्बर 936/1167, 937/1166 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे साथ ही प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादीगण के हक अधिकार की भूमि खसरा नम्बर 936/1167, 937/1166 के कब्जे काश्त में किसी प्रकार दखल नहीं करें, वादीगण को चाह खसरा नम्बर 939 में लगे विद्युत से अपने हिस्से अनुसार पानी लेने देवें तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 द्वारा प्रतिवादी संख्या 6 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र को आराजी खसरा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नम्बर 936/1167 की हद तक एबीसीनियो नल एण्ड वोइड घोषित किया जावे।

कैम्प कोर्ट विराटनगर में सुना गया। साबिक खसरा नम्बर 490 रकबा 3 बीघा 7 बिसवा की खातेदारी वादीगण के बुजुर्गो के नाम दर्ज रिकार्ड रही है। साबिक रकबा 3 बीघा 7 बिसवा को हैक्टेयर में परिवर्तित करने पर 0.8375 हैक्टेयर रकबा बनता है, जबकि साबिक खसरा नम्बर 490 रकबा 3 बीघा 7 बिसवा के हाल सैटिलमेंट में हाल खसरा नम्बर 936/0.28, 937/0.37, 938/0.01 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.66 हैक्टेयर कायम किये तथा शेष रकबा करीब 0.18 हैक्टेयर को हाल खसरा नम्बर 936/1167/0.10, 937/1166/0.20 हैक्टेयर में साबिक खसरा नम्बर 489 से बनना बताकर उसकी खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के बुजुर्गो के नाम कर दी, वादीगण का रकबा दुरूस्ती किया जाना न्यायसंगत है।

अतः हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद इस कदर डिक्री किया जाता है कि वादीगण को वाके ग्राम जयसिंहपुरा के हाल खसरा नम्बर 937/1166/0.20 हैक्टेयर में रकबा 0.18 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि उक्त खसरा नम्बर के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण का नाम हजफ किया जाकर, राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें।

निर्णय मजमा–ए–आम कैम्प कोर्ट विराटनगर दिनांक 29.06.2018 को सुनाया गया।

(मुकेश कुमार मूंड) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मुद्दालिक .....शून्य..... बाबत .....शून्य.....
खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरत .....शून्य..... की सदी सलाना आज की तारीख बसूलयाबी तक .....शून्य..... का अदा करें। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 29.06.2018** को जारी की गई।

मुद्दई	रूपया	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतजरिक	
मीजान	शून्य	मीजान	शून्य

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया। फीस दर्ज करना चाहिए।

(मुकेश कुमार मूंड) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर